1022
16/2/13

खण्ड–2

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या–22

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 28 जून, 1995 ई०

चालू योजनाओं के निर्माण के लिये भी निधि उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पा रहा है। इस पृष्ठभूमि से कोई भी नयी योजना के निर्माण में हाथ लगाना कतई संभव नहीं जान पड़ता है।

पदाधिकारी पर कार्रवाई

*2176. **श्री सुरेश पासी** : क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

1. क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अधिसूचना संख्या–252 दिनांक–1 जून, 1992 की कंडिका–6ख इस द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि वरीक्ष्यमान अवधि में सेवा एवं कार्यकलाप संतोषजनक रहने पर सहायक के पद पर उनकी सम्पुष्टि की जायेगी, वशर्ते कि प्राक सम्पुष्टि प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी;

2. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं०–213, दिनांक 28.6.94 एवं कार्यालय आदेश सं०–66 दिनांक 4.5.95 द्वारा वरीक्ष्यमान रूप से नियुक्ति कुल 19 सहायकों का पदस्थापन बगैर प्राक सम्पुष्टि प्रशिक्षण प्राप्त कराये पदस्थापित किया गया है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सरकारी अधिसूचना की अवहेलना करने वाले दोषी पदाधिकारी विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक एवं प्र० सुधार विभाग का आवंटन आदेश सं०-320 दिनांक 7.6.94 एवं सं०-409 दिनांक 1.7.94 एवं 683 दिनांक 22.9.94 द्वारा कतिपय सहायकों को आवंटन प० नि० वि० में किया गया, जिन्हें विभागीय संरचनात्मक प्रशिक्षण देते हुए कार्यालय आदेश सं०-213 दिनांक- 28.6.94, आदेश सं०-214 दि०-28.6.94 एवं आदेश सं०-66 दिनांक-4.5.1995 द्वारा विभाग के विभिन्न उपभागों में पदस्थापित किया गया है। सहायकों को परिक्ष्यमान घोषित करने , सम्पुष्टि तथा प्राक प्रशासनिक सुधार विभाग का विषय है, जिसके संबंध में इस विभाग को अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

3. प्रश्न सं० 2 के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

पुल का निर्माण

*2178. **श्री देवनाथ यादव** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास प्रखंड स्थित एकडारा ग्राम में रास्ता से पूरब और पश्चिमी कोशी नहर में पुल नहीं रहने के कारण आवागमन अवरूद्ध है;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त नदी पर पुल का निर्माण होने से प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त नहर पर पुल निर्माण करने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?